UPM0010065972026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–11, मुरादाबाद।

उपस्थित– घनेन्द्र कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) ID No.–UP 1664

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1885/2026

अजीम अहमद आयु लगभग 24 वर्ष पुत्र श्री शमीम अहमद, निवासी इटायला माफी, पोस्ट सिरसी, जिला संभल।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....वादी/अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या–172/2023,
धारा–420, 34 भा०द०सं० व धारा–15 (2),
15 (3), इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट
थाना–पाकबड़ा, जिला–मुरादाबाद।

दिनांक–06.07.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त अजीम अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद की ओर से उपरोक्त प्रकरण में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

3– वादी मुकदमा डॉ0 संजीव कुमार बेलवाल द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2023 को अपरान्ह 01 बजे चिकित्सकीय दल के द्वारा मदार पैथोलजी लैब निकट मन्दिर चौराहा डिंगरपुर रोड़ पाकबड़ा, मुरादाबाद का औचक निरीक्षण किया गया। (आख्या की छायाप्रति संलग्न) निरीक्षण के समय संस्थान में श्री रवि कुमार आयु 28 पुत्र श्री शोमरन सिंह, ग्राम नगला बलवीर, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद मो० नं०– 9756589840 शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट, श्री शैफूल अजीम पुत्र श्री शमशाद, निवासी ख्वाजा कॉलोनी, मुरादाबाद मो० नं०–7617466638 शैक्षित योग्यता हाई स्कूल एवं श्री फाईम पुत्र श्री समीर अहमद, निवासी इतायेल्ला माफी, पोस्ट असमोली, जिला सम्भल, आदि उपस्थित पाये गये, जिनके द्वारा बताया गया कि श्री अजीम आयु 20 पुत्र श्री समीर अहमद, निवासी इतायेल्ला माफी, पोस्ट असमोली, जिला संभल मो० नं०– 8126438489 पैथोलजी के स्वामी है तथा कोई भी स्टॉफ चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु प्रशिक्षित/योग्य नहीं था। निरीक्षण के समय चिकित्सालय में दिनांक 17.05.2023 की कु०/श्रीमती निशा, दिनांक 06.05.2023 को श्री अजीम, दिनांक 17.05.2023 कु०/श्रीमती

Digitally signed by GHANENDRA KUMAR
Date: 2026.07.06 16:54:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निशा, दिनांक 06.05.2023 को कु०/श्रीमती शगुप्ता, दिनांक 07.05.2023 को कु०/ श्रीमती गुल्फशा, दिनांक 11.05.2023 को श्री अयान, दिनांक 14.05.2023 को श्री बोबी आदि मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई (छायाप्रति संलग्न), जिस पर किसी भी शिक्षित चिकित्सक के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। केवल अप्रशिक्षित स्टॉफ के हस्ताक्षर किये हुए थे। चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट एवं फायर सेफिट हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी जोकि पर्यावरण एक्ट का उल्लंघन है। पैथोलजी चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि मरीज के जीवन से जुड़ा हुआ है व उक्त संचालक के जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संचालक के द्वारा इनके लैटरहेड एवं बोर्ड पर डॉ० राजीव चौहान एम.बी.बी.एस.एम.डी., डॉ० फईम बी.एससी बी.एम.एल.टी., डॉ० एस. कुमार एम.बी.बी.एस. एम.डी. प्रदर्शित कर भ्रमित किया जा रहा है। उक्त पैथोलोजी समस्त उपकरणों के साथ सील कर दिया गया। उक्त शिकायत के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचनाधीन हुआ।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा रहा है, न तो कोई अन्य जमानत का आवेदन दाखिल किया गया है न ही विचाराधीन है। उपरोक्त मुकदमे में थाना पाकबड़ा पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय अवर न्यायालय सी० जे०एम० मुरादाबाद में प्रेषित कर दिया गया है, विचारणीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रोसेस जारी कर दिये गये है, प्रार्थी के गिरफ्तार होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फसाया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि उन पर आरोप है। मदार पैथोलॉजी लैब का संचालन प्रार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा था तथा ना ही प्रार्थी उक्त लैब का स्वामी या प्रोपराइटर है। उक्त लैब का स्वामी अजीम पुत्र समीर है, प्रार्थी का उक्त लैब से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी उक्त लैब पर सफाई का कार्य करता था। जिन मरीजो की रिपोर्ट बरामद की गयी है उस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। मरीजो की जो रिपोर्ट तलब की गयी है। उस पर डॉ० राजीव चौहान, डॉ० फहीम एवं डॉ० एम कुमार का नाम अंकित है। उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी का नाम कही भी नाम अंकित नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी उक्त लैब का संचालन कर रहा था। प्रार्थी पर लगाये सभी आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा प्रार्थी पर लगाये गये सभी आरोपो में मात्र साल से कम सजा का प्रावधान है। प्रार्थी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है और कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र अथवा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में लम्बित नहीं है और न ही खण्डित हुआ है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और प्रार्थना की गयी कि आवेदिका/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाये।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अजीम अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद मौके पर नहीं पाया गया। अभियोजन के अनुसार पैथोलॉजी का स्वामी अजीम पुत्र श्री समीर अहमद बताया गया। मामला अधिकतम 7 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है। सह–अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मामले में आरोप–पत्र प्रेषित हो चुका है, अतः विवेचना में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना नहीं है। दौरान विवेचना अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0 बी0 आई 0** में दिये गये प्रावधान तथा मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अजीम अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1885/2026, मु0 अ 0 सं0–172/2023, अंतर्गत धारा– 420, 34 भा०द०सं० व धारा–15 (2), 15 (3), इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, थाना–पाकबड़ा, जिला–मुरादाबाद दौरान विचारण 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1– प्रार्थी/अभियुक्त समान भाँति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी एवं दबाव नहीं देगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान सहयोग करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय स्वतः ही प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त कर सकेगा।

(घनेन्द्र कुमार)
(I.D. No.–U.P. 1664)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–11, मुरादाबाद,

दिनांक–06.07.2026